

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1084 / 2023


दिनांक 05.04.2023

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 713 / 2023 दिनांक 28.02.2023 (कम-1) की निरन्तरता में श्रीमती पूर्णिमा यादव (RJ1068), तत्कालीन सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल (नागौर) हाल वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर को दिनांक 24.02.2023 से 03.03.2023 तक 08 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती यादव की अनुपस्थिति में न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, जायल (नागौर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल (नागौर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से,



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण) 05.04.2023

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/56/2016/2319

दिनांक 05.04.2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता को उनके पत्रांक 1707 दिनांक 31.03.2023 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती पूर्णिमा यादव (RJ1068), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नागौर।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, जायल (नागौर) ।
5. न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, जायल (नागौर)।


सहायक रजिस्ट्रार 05-4.2023